

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत मुकाम वपान
 34 (4051) विकारी बनाम तस्लीखदार वमाना वगैरा
 वीरपत न सन् 22/16
 मुकदमा ग्राम्य 136 LR Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
16/1/16	<p>प्राथमिक पर दर्ज वजिस्तर है। प्राथमिक्य के अनुसार रिफाई वगैरे की डिपॉजिट है। तस्लीखदार वपान को लिखा जावे कि प्राथमिक्य जरूर नो रिह 100 है। प्रमाण डिमांड 24-8-16 को प्रेष है।</p>	
24/1/16	<p>पीठाधीन अधिकारी श्रीमान श्रीमान पत्रावली नं. 511/16 को पेश है</p> <p>एस0डी0ओ/एस0डी0एस0 बयाना</p>	
5/10/16	<p>वकील श्रीमान उपस्थित। इन्जार् रिपोर्ट पर वपान पत्रावली डिमांड 17/1/16 को प्रेष है।</p>	
17/1/16	<p>वकील श्रीमान उपस्थित पत्रावली डिमांड 9/1/17 को प्रेष है।</p>	

20/10/21

प्रकाश कागद प्रकाशना जाति के लक्ष्य
 प्रतिभा 2021 के द्वारा निर्धारित के रूप में
 नावनी-मोदीक प्रती है जिसे (A) पेश हुआ
 क्षेत्र के तहसीलदार तथाना में विक्रित व
 प्रोद्दा की निर्णय ले गई। प्रामाणिकता व
 ने प्राप्ति पत्र रस काश्मीर का प्रोद्दा
 कि प्रार्थना व प्रोद्दाना प्रोद्दाना संस्था
 2000 साल के पिताश्रीया पुत्र जोहरी का
 स्वामित्व दिनांक 03/01/1993 को लेजाया
 है। जिसने अपने पीछे प्रार्थना व प्रोद्दाना
 काश्मीर अलगात ड कीडे है। विधवा पत्नी
 परती व पुत्री जोहरी कीडे है। जिन्की भी
 मृत्यु हो चुकी है। पुत्रका आजी 2007
 1612 ग्राम रुकवा 6 वीया। जिसका नाम नवनी
 तहसील तथाना स्थित है। जिसके तंत्रमान
 सेटलमेंट के दौरान नवीन 2000 1788,
 1990, 1209 बनाए गए हैं। जिसके प्रार्थना
 0.27 0.41

का पिता श्रीया व वाचा प्रोद्दाना प्रोद्दाना
 गीनों व हिस्सा करातर 113 हिस्सा हैं। जिसके
 ब रकारेदार काश्मीर है। नवल विसल हकीमत
 सन्तत 2051-2070 जिसके प्रार्थना के पिता
 का नाम श्रीया पुत्र जोहरी रही अभिलेख
 है लेकिन तंत्रमान सेटलमेंट के ~~समय~~
 बाद जमावकी तनार समय परती हवा के
 भूलवश श्रीया के वजाय भी गन्त अभिलेख
 कर दिए जवाब विसल हकीमत में प्रार्थना
 के पिता का सही नाम श्रीया अभिलेख है।
 अन्त में प्राप्ति पत्र प्रार्थना स्वीकार
 कर आजी नवत 1988, 1990, 1209
 ग्राम नावनी तहसील तथाना राजस्थान

जोहरी
 प्रोद्दाना

अभिलेख में भीमा के स्थान पर शीवा सुहू
लिए जाने का विवेकन किया है।

प्राथमिक पत्र पेश होने पर दंड २१ जेम्स
कर तहसीलदार क्यागा से रिपोर्ट चाही
गई। तहसीलदार क्यागा की रिपोर्ट अनुसार

जमा नम्बर २०५१-२०७० ग्राम नावनी के स्थान
संख्या ६५ अनुसार ख. नं० १७८०, १७९०, १८०९
में प्राणी के पिता का नाम शीवा सुहू जोशी
सही पत्र है। जमा नं० २०५१-६० तहसीलदार
सहज रूतना संख्या १२ में उपरोक्त ख. नं० नम्बरों
में प्राणी के पिता का नाम भीमा गलत दर्ज हो
गया है। प्राणी के पिता का नाम भीमा के
स्थान पर शीवा सुहू लिखा जाना उचित है।
अभिलेख किया है।

हमने पत्रावली में सहज राजस
अभिलेख जमा नं० २०५१-२०७०, २०६९-७२

का अवलोकन किया। जमा नं० २०५१-७०
में प्राणी के पिता का नाम शीवा सुहू अभिलेख है।
परन्तु जमा २०६९-७२ में प्राणी के पिता का
नाम भीमा सुहू जोशी अभिलेख है। सहज
तहसीलदार प्राणी के पिता का नाम शीवा सुहू
पर भीमा अभिलेख हुआ है। प्राथमिक पत्र प्राणी
स्वीकार योग्य है।

अतः प्राथमिक पत्र प्राणी स्वीकार किया
जाना है। तहसीलदार क्यागा को अधिसूचित
किया जा रहा है कि ग्राम नावनी तहसील
क्यागा के तहसीलदार जमा नं० में अभिलेख नं०
१७८०, १७९०, १८०९ में प्राणी के पिता
०३०, ०२७, ०५१

भीमा के स्थान पर शीवा सुहू लिखा जावे।
कोष सूचना वदस्तूर रहेगा। पत्रावली फिलान
सुभार होकर नम्बर से कम हो। निवेदन से
पत्र तहसीलदार क्यागा को पालना
भित्तवादी जावे। पत्रावली वास्तिक ५५०२ है।
आदेश नैम्य नावनी मेरे द्वारा लिखा जाकर
सुनाया गया। मिय